न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालीयर, पीठ भोपाल

पुनरीक्षण प्र.क्र. :–

प्रस्तुत दिनांक :–

1222-PBR/14

पुनरीक्षणकर्ता :- अमजद आ. मो. रफीक
निवासी नरसिंह वार्ड हरदा, तह. एवं जिला–हरदा

विरूद्ध

उत्तरवादीगण :- 1. इरफान आ. मो. रफीक
निवासी हरदा, तह. एवं जिला–हरदा

2. मुख्य नगर पालिका जिला–हरदा

श्री संदीप दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 9.4.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
9.4.14

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 331 म.प्र.नगर पालिका अधिनियम

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता मुख्य नगर पालिका अधिकारी/राजस्व निरीक्षक नगर पालिका द्वारा उत्तरवादी पक्ष क्र.1 के पक्ष में पुरानी लायब्रेरी के पास पुनरीक्षणकर्ता को आवंटित की गई छत क्र.166, उत्तरवादी क्र.1 के पक्ष में किये गये नामांतरण/आवेदन से छुब्ध होकर, अन्य तथ्यों एवं आधारो के अतिरिक्त निम्न तथ्यों एवं आधारो पर अपनी पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :–

अमजद / इरफान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग01222–पीबीआर / 14 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नामांतरण आदेश दिनांक 27–9–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के अंतर्गत नामांतरण की कार्यवाही की जाती है । धारा 150 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को अपील किये जाने का प्रावधान है। नगर पालिका द्वारा पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया इस निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (मनदीप सिंह) अध्यक्ष	